

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र06-विविध-21/13 -

खाद्य, पटना/दिनांक -

प्रेषक,

प्रतिभा सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में सूचना प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लाभुकों के लिए सूचना के प्रकाशन हेतु सामग्री पॉच प्रतियों में सी0डी0 सहित इसके साथ संलग्न है । अनुरोध है कि इस सूचना का प्रकाशन राज्य में प्रकाशित होने वाले सभी हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में दिनांक 30.12.2014 को प्रकाशित कराने की कृपा की जाय तथा प्रकाशित सूचना का प्रेस कतरन भी विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराई जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक - प्र06-विविध-21/13

9896

प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को निविदा सामग्री के साथ इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

खाद्य, पटना/दिनांक 29/12/14

विशेष कार्य पदाधिकारी ।



श्री स्याम राजक
माननीय मंत्री
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग



बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग




श्री जीतन राम मांझी
माननीय मुख्यमंत्री
बिहार

1 फरवरी, 2014 से
बिहार राज्य में लागू

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

बिहार सरकार



- अन्त्योदय (AAY) श्रेणी के गृहस्थी को अनुमान्य मासिक खाद्यान्न-35 किलोग्राम (गेहूं-14 कि.ग्रा. एवं चावल-21 कि.ग्रा.)
- पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के गृहस्थी के प्रत्येक व्यक्ति को अनुमान्य मासिक खाद्यान्न-5 किलोग्राम (गेहूं-2 कि.ग्रा. एवं चावल-3 कि.ग्रा.)
- खाद्यान्न के वितरण में कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत अपने जिले के अपर समाहर्ता जो पदेन जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी है के कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों पर 15 दिनों में आदेश पारित होगा।
- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश से विशुद्ध व्यक्ति 30 दिनों के अन्दर बिहार राज्य खाद्य आयोग के कार्यालय में अपील दायर कर सकते हैं।

दर: गेहूं-2 (दो) रु. प्रति किलोग्राम
चावल-3 (तीन) रु. प्रति किलोग्राम

हेल्प लाईन नं.-18003456188/ 18003456194